राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

प्लाट न0 ए 1, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248013
ई–मेलः ceo-shauk@uk.gov.in

पत्रांकः रा0स्वा0प्रा0 / हॉस्पिटल मैनेजमेंट / 503 दिनांक : 18 जुलाई 2022

प्रेषित,

डॉ0 दीपक छाबड़ा,
संचालक,
द मेडिसिटी हॉस्पिटल,
तीन पानी किच्छा रोड़,रुद्रपुर
जनपद उधमसिंहनगर।

विषयः सूचीबद्धता हेतु किये गये अनुबंध के Section 11 (2) अनुसार 01 माह का नोटिस प्रेषित किये जाने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि द मेडिसिटी हॉस्पिटल, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर द्वारा दिनांक 09 अक्टूबर 2018 को HEM Portal के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया गया था एवं दिनांक 17 अक्टूबर 2018 को जनपद स्तरीय इम्पैनलमैंट समिति की संस्तुति उपरान्त राज्य हैल्थ एजेंसी द्वारा दिनांक 24 नवम्बर 2018 को योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन पंजीकृत किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अन्तर्गत द मेडिसिटी हॉस्पिटल, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर के द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने के उपरान्त योजना के अन्तर्गत सूचीबद्धता प्रदान की गई थी।

2. यह कि हस्ताक्षरित अनुबन्ध Section 11 (2) Termination के अनुसार

This Agreement may be terminated by either party by giving one month's prior written notice by means of registered letter or a letter delivered at the office and duly acknowledged by the other, provided that this Agreement shall remain effective thereafter with respect to all rights and obligations incurred or committed by the parties hereto prior to such termination.

3. उक्त विषय पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि हॉस्पिटल तथा SHA के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्ध के Section 11, Clause 2 के अनुसार SHA द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2022 से अनुबन्ध को समाप्त किया जाता है और हॉस्पिटल की सूचीबद्धता निरस्त की जाती है। तद्नुसार दिनांक 18 अगस्त 2022 को पोर्टल से चिकित्सालय की Login ID deactivate हो जायेगी ।

भवदीय,

(अतुल जोशी)
प्रभारी निदेशक–हॉस्पिटल मैनेजमेंट